प्रेस नोट थाना विजयगढ़, अलीगढ़

दिनांक 24.09.2021

ऑपरेशन निहत्था के तहत थाना विजयगढ़ पुलिस टीम ने 01 अभियुक्त किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्र कारतूस बरामद ।

पुलिस कार्यवाही का विवरण:-

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र कारतूस रखने वाले/ सोशल मीडिया पर अवैध असलाहों का प्रदर्शन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन निहत्था” के तहत थाना विजयगढ़ पुलिस टीम ने अभियुक्त आस्तिक पुत्र नेकसेमल निवासी ग्राम नगला बरी थाना विजयगढ़ जिला अलीगढ़ को मय अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर सहित मानिकपुर तिराहे से नगला बरी की तरफ जाने वाली रोड से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना पर मु0अ0सं0 120/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

नाम पता अभियुक्त-

1. आस्तिक पुत्र नेकसेमल निवासी ग्राम नगला वरी थाना विजयगढ़ जिला अलीगढ़

बरामदगी –

1. एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग: –

1. मु0अ0सं0 120/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयगढ़

गिरफ्तारी स्थान:-

मानिकपुर तिराहे से नगला बरी की तरफ जाने वाली रोड से

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री कृष्ण अवतार दुवे थाना विजयगढ़, अलीगढ़
2. कां0 446 वीरेन्द्र सिंह थाना विजयगढ़, अलीगढ़
3. कां0 198 अभिषेक कुमार थाना विजयगढ़, अलीगढ़

प्रेस नोट थाना महुआखेड़ा, अलीगढ़
दिनांक 24.09.2021

ऑपरेशन खुशी के तहत थाना महुआखेड़ा पुलिस टीम ने एक रास्ता भटका बच्चा उम्र करीब 06 वर्ष को परिजनों से मिलाकर लौटाई खुशियाँ ।

<u>पुलिस कार्यवाही का विवरण</u> –

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में गुमशुदा बच्चों की शीघ्र बरामदगी एवं रास्ता भटके बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने हेतु चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन खुशी" के तहत दिनांक 23.09.2021 को थाना महुआखेड़ा पुलिस टीम 1. उ0नि0 हरिभान सिंह मय लैपर्ड कर्म0गण आरक्षी 867 विक्रम सिंह व आरक्षी 1602 आकाश कुमार ने एक रास्ता भटका हुआ बच्चा उम्र करीब 06 वर्ष जो गश्त के दौरान एटा चुंगी के पास मिला, पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आस पास के मौहल्लों जाकर पहचान करायी गयी तथा वाट्सएप ग्रुप, कण्ट्रोल रूम के माध्यम से पर प्रचार-प्रसार कर थाना गाँधीपार्क क्षेत्रांन्तर्गत डोरीनगर में उसके परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया गया। परिजनों द्वारा अपने बच्चों को सकुशल पाकर पुलिस द्वारा त्वरित की गयी कार्यवाही की भूरि- भूरि प्रशंसा की गई।

#अलीगढ़ ब्रेकिंग

★ शराब अपराधियों के विरुद्ध शासन व डीजीपी मुख्यालय के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए अलीगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर की कार्यवाही के बाद सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के क्रम में अब _शराब माफिया अभियुक्त सुमित कुमार उर्फ सोनी की चल/अचल सम्पत्ति "कीमत करीब 10 लाख 46 हजार 714 रूपये)" गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के अधीन की जब्त_

◆ श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा शराब माफिया सुमित कुमार उर्फ सोनी पुत्र सुरेशपाल सिंह निवासी हैदरनगर थाना अकराबाद,अलीगढ़ हाल पता शंकर विहार कालौनी थाना क्वार्सी अलीगढ़ के विरुद्ध कमरतोड़ कार्यवाही करते हुए अपमिश्रित शराब का कारोबार/व्यापार कर अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति का चिन्हीकरण/सत्यापन कराकर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अवैध चल/अचल सम्पत्ति कीमत 10,46,714/- रू0 को जब्त किया गया।

अभियुक्त द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति अपमिश्रित/जहरीली शराब के अवैध कारोबार से अनाधिकृत रूप से धन कमाकर अर्जित/क्रय की गयी है।

▪ अभियुक्तः-

1. सुमित कुमार उर्फ सोनी पुत्र सुरेशपाल सिंह निवासी हैदरनगर थाना अकराबाद,अलीगढ़ हाल पता शंकर विहार कालौनी थाना क्वार्सी अलीगढ़

▪ जब्त सम्पत्तिः-

1- मौजा अलहदादपुर स्थित प्लाट सं0 49 खसरा सं0 964 कीमत करीब 6,18,714 रु0

2- मौजा अदौन स्थित गाटा सं0 1610 रकबा 0.242 भूमि कीमत करीब 4,28,000 रु0

‼ गौरतलब है कि एसएसपी महोदय द्वारा पूर्व में ही अपने अधीनस्थों को शराब प्रकरण में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा/गैंगस्टर/हिस्ट्रीशीट जैसी कठोर वैधानिक कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति चिन्हित कर जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में मु0अ0सं0 302/21 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना अकराबाद बनाम सुमित कुमार उपरोक्त के तहत कार्यवाही करते हुए उपरोक्त चल/अचल सम्पत्ति को जब्त किया गया।

‼ विदित है कि इससे पूर्व शराब माफिया *अनिल चौधरी ,विपिन यादव उर्फ ओमवीर सिंह, मुनीष कुमार शर्मा, रिषी कुमार, अर्जुन, विक्रम सिंह व नीरज चौधरी, रविन्द्र पाठक, सतीश कुमार उर्फ खुराना, रामनिवास की सम्पत्ति गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अब तक कुल करीब 73 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। कार्यवाही लगातार जारी है....

प्रेस नोट थाना पिसावा, अलीगढ़

दिनांक 24.09.21

ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना पिसावा पुलिस टीम ने 01 वांछित अभियुक्त किया गिरफ्तार

पुलिस कार्यवाही का विवरण-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना पिसावा पुलिस टीम ने दिनाँक 24.09.21 को मु0अ0सं0 122/21 धारा 67 IT Act में वांछित अभियुक्त रवी कुमार पुत्र योगेस्वर राम निवासी ग्राम काको थाना काको जिला जहानबाद बिहार को मुखविर की सूचना पर भोजाका गेट के पास थाना पिसावा से गिरफ्तार किया। अभियुक्त से अपराध उपरोक्त सम्बन्धित मोबाइल फोन मोटोरोला वन फ्यूजन स्क्रीन टच व एक सैंमसंग की-पैड मोबाइल फोन भी बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रवी कुमार पुत्र योगेस्वर राम निवासी ग्राम काको थाना काको जिला जहानबाद बिहार

गिरफ्तारी का स्थान-

भोजाका गेट के पास से

बरामदगी-

एक मोबाइल फोन मोटोरोला वन फ्यूजन स्क्रीन टच, एक सैंमसग की-पैड मोबाइल फोन

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 122/21 धारा 67 it act थाना पिसावा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह भदौरिया थाना पिसावा, अलीगढ़
2. उ0नि0 श्री अमित कुमार सिंह थाना पिसावा, अलीगढ़
3. कां0 2512 शशिकान्त थाना पिसावा, अलीगढ़

थाना पिसावा
मो०नं० 9454402794
1090 181 1076

अलीगढ़ पुलिस

ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना हरदुआगंज, इगलास पुलिस टीम ने 02 वारण्टी अभियुक्त किये गिरफ्तार।

पुलिस कार्यवाही का विवरणः-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,अलीगढ़ श्री कलानिधि नैथानी महोदय द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना हरदुआगंज, इगलास पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को उनके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। विवरण निम्नवत है-

थाना हरदुआगंज ?

1. जॉनी पुत्र सुरेश निवासी किढ़ारा थाना हरदुआगंज, अलीगढ़ सम्बंधित वाद सं0- 288/17 धारा 223/224 भादवि

थाना इगलास ?

1. नत्थीलाल पुत्र रामप्रसाद निवासी विदरका थाना इगलास अलीगढ़ सम्बन्धित वाद सं.- 2874/19 धारा 138 बी भारतीय विद्युत अधि0

प्रेस नोट थाना गांधीपार्क, अलीगढ़

दिनांक 24.09.2021

ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना गाँधीपार्क पुलिस टीम ने 01 शातिर चोर किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के रुपये बरामद ।

पुलिस कार्यवाही का विवरणः-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना गांधीपार्क पुलिस टीम ने प्रभावी कार्यवाही करते हुये आज दिनाँक 24.09.2021 को मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 552/21 धारा 379/411 भादवि में वांछित अभियुक्त पप्पू उर्फ इजहार पुत्र शकूर अली खान निवासी साहकार नगर मकनपुर कानपुर नगर को नोवेल्टी सिनेमा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी के 10,260 /-रु0 बरामद किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1.पप्पू उर्फ इजहार पुत्र शकूर अली खान निवासी साहकार नगर मकनपुर कानपुर नगर

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 552/21 धारा 379/411 भादवि

बरामदगी मालः-

10,260/- रुपये।

गिरफ्तारी का स्थान-

नॉवल्टी सिनेमा के पास

पुलिस पार्टी–

1. उ0नि0 डॉ0 अमित मलिक थाना गाँधीपार्क, अलीगढ़
2. कां0 157 गिरीश कुमार थाना गाँधीपार्क, अलीगढ़
3. कां0 1683 विष्णु कुमार थाना गाँधीपार्क, अलीगढ़

<u>प्रेस नोट थाना बरला जनपद अलीगढ़</u>
<u>दिनांक 24.09.2021</u>

ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना बरला पुलिस टीम ने 01 अभियुक्त किया गिरफ्तार।

पुलिस कार्यवाही का विवरणः-

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना बरला पुलिस टीम ने मु0अ0सं0 163/2021 धारा 302/201 भादवि में वांछित अभि0 आकिब पुत्र नईमुद्दीन नि0 टिकटा थाना बरला जनपद अलीगढ को मुखविर की सूचना पर ग्राम टिकटा की पुलिया से गिरफ्तार किया।

अभि0 उपरोक्त द्वारा दौराने पूछताछ कबूल किया कि मृतका मेरे ताऊ की लड़की थी जो कि ग्राम अरनी निवासी इमरान से प्यार करती थी हम लोग इसका विरोध करते थे उसकी शादी अलीगढ़ से तय कर दी थी लेकिन वह इमरान के ही साथ रहने की जिद कर रही थी जिससे गाँव व समाज में हमारी बहुत बदनामी हो रही थी तभी मैंने व मेरे भाई नाजिम व मामा इलियास ने मृतका को समझाने एवं ना मानने पर मारने का प्लान बनाया दिनांक 04.09.21 को रात्रि करीब 07.00 बजे मैं तथा मामा इलियास तथा नाजिम तीनों लोग गाँव में मिले तथा जैसे ही मेरे चाचा निजामुद्दीन चाची व उनका छोटा लडका नाजिस खेत पर मक्का कटवाने चले गये हम तीनों चाचा के घर में वहाँ पर कमरे में बिठाकर मृतका को काफी समझाया लेकिन वह नहीं मानी तो हम तीनों ने मिलकर उसके दुपट्टे से उसका गला घोंटकर मार दिया और करीव 08.00 बजे रात्रि उसके शव को एक प्लास्टिक की बोरी में रखकर गाँव से वाहर दूर भट्टे के पास जला दिया था।

अभि0 की निशांदेही पर मृतिका की हत्या में प्रयुक्त दुपट्टा को ग्राम टिकटा में मृतिका के घर में बने कमरे से बरामद किया गया।

नाम पता अभियुक्तगण-

अभि0 आकिब पुत्र नईमुद्दीन नि0 टिकटा थाना बरला जनपद अलीगढ़

गिरफ्तारी का स्थान -

पुलिया ग्राम टिकटा

बरामदगीः -

गला घोंटने में प्रयुक्त मृतिका का दुपट्टा

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 163/2021 धारा 302/201 भादवि

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>

1. थानाध्यक्ष श्री उमेशचन्द्र शर्मा थाना बरला, अलीगढ
2. कां0 1464 आकाश थाना बरला, अलीगढ
3. कां0 1477 अर्जुन थाना बरला, अलीगढ

<u>प्रेस नोट थाना टप्पल अलीगढ</u>

थाना टप्पल पर पंजीकृत मु0अ0स0 402/21 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित घटना को थाना टप्पल पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तगण 1. लेखराज पुत्र पदम सिंह 2. श्रीमती सम्पत पत्नी लेखराज निवासीगण ग्राम किशनपुर थाना टप्पल अलीगढ को दिनांक 24.9.21 को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण करने के सम्बन्ध में-

<u>घटना का विवरण</u> –

दिनांक 20.09.21 को गांव किशनपुर में 8 वर्षीय लड़की अपने घर से प्रातः 8-9 बजे के बीच ग्राम किशनपुर से अपने स्कूल न्यू आदर्श शिक्षा निकेतन ग्राम लालपुर जाने के लिये निकली थी स्कूल तक नहीं पहुंची तथा ग्राम किशनपुर से लालपुर की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते के पास छात्रा की गला दवाकर हत्या कर उसका शव चकरोर के पास 100 कदम दूरी पर धान के खते में फेंक दिया था। दिनांक 02/09/2021 को जब मृतिका समय आठ से नो के बीच अपने घर से स्कूल के लिये निकली तो उसके दादा उसके पीछे पीछे चल दिये इशारे से दादा ने दादी को भी अपने साथ बुला लिया। दादी भी दादा के पीछे पीछे चल दी। किशनपुर से लालपुर वाली चकरोड पर दादा दादी ने लडकी को रोककर पूर्व योजना के तहत गला घोटकर हत्या कर शव को धान के खेत मे फैक दिया। जिसमें उसके दादा लेखराज ने भादवि 302 का मुकद्दमा पंजीकृत कराया था। एसएसपी महोदय के निर्देशन में थाने पर तीन दिनों तक एसपी ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी ने कैंप करते हुए, थाना टप्पल पुलिस और जनपदीय क्राइम टीम का पर्यवेक्षण करते हुए गांव के करीब *100 से अधिक लोगो से की गहन पूछताछ, जिसमें स्कूल के छात्रों और शिक्षकों से ली गई जानकारी सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए गहनता से पूछताछ में यह बात प्रमाणित हुई कि घटना के समय उस रास्ते पर मृतिका के दादा लेखराज और दादी संपत को गांव के अन्य लोगों ने आते जाते देखा था। यह भी प्रकाश में आया कि गांव के ही रामकिशन द्वारा लेखराज के बेटे ओम प्रकाश के विरुद्ध मु0अ0सं0- 348/19 धारा 354/504/376 आईपीसी एवम 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कराया गया था जो इस समय माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और उक्त मुकद्दमे में लेखराज वादी पक्ष पर फैसले के लिए दबाव बनाने का प्रयास कर रहा था। दादा लेखराज और दादी संपत से गहनता से पूछताछ की गई जिसमें इन्होंने यह कबूल किया कि उन्होंने ही अपनी पोती रूबी की स्कूल के रास्ते में हत्या कर दी और गांव के बाहर स्कूल के रास्ते के पास धान के खेत में शव को डाल दिया। जिससे कि अभियुक्त लेखराज का विपक्षी रामकिशन उक्त मुकदमे में फँस जाए और जेल चला जाए और उसका फैसला आसानी से हो जाए तथा अभियुक्त का पुत्र ओमप्रकाश जो पूर्व मुकदमे में अभियुक्त था, की नौकरी लगने में कोई परेशानी न आये।और साथ में यह बात भी प्रकाश में आई कि कोर्ट कचहरी के कारण लेखराज का काफी खर्चा हो गया था और वहीं मृतका के एक भाई का भी लंबे समय से इलाज चल रहा था, इस प्रकार घर के खर्चे में दिक्कत आने के कारण और कोर्ट कचहरी में और खर्चा न करना पड़े इसके दृष्टिगत यह साजिश रची गई

यहां यह भी गौरतलब है कि स्कूल से पूछताछ करने पर पता चला कि लड़की कई दिनो से स्कूल नहीं गई थी- इस प्रकार दिनो बाद अचानक किसी एक दिन स्कूल जाना और उसी दिन घटना का होना संदेहास्पद लगा इसके साथ ही स्कूल के रास्ते पर पड़ा बैग बच्ची के ही परिजनों को सर्वप्रथम दिखाई देना और मिलना भी संदेहास्पद लगा। लेखराज द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए अपराध बोध प्रकट किया गया।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गण का नाम व पता

1. अभियुक्त लेखराज पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम किशनपुर थाना टप्पल अलीगढ
2. अभियुक्ता श्रीमती सम्पत पत्नी लेखराज निवासी ग्राम किशनपुर थाना टप्पल अलीगढ

बरामदगी - निल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र कुमार सिंह थाना टप्पल जनपद अलीगढ

2. व0उ0नि0 रूपचन्द थाना टप्पल जनपद अलीगढ

3. उ0नि0 श्री यतेन्द्र सिंह थाना टप्पल जनपद अलीगढ

4. हे0का0 रंकजीत थाना टप्पल जनपद अलीगढ

5. का0 बलराम थाना टप्पल अलीगढ

6. का0 शिशुपाल सिंह थाना टप्पल अलीगढ

7. म0का0 1156 खुशबू थाना टप्पल अलीगढ

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 402/21 धारा 302 भादवि थाना टप्पल जनपद अलीगढ

प्रेस नोट

थाना गाँधीपार्क पुलिस द्वारा नाजायज गांजा बेचने वाला 01 अभियुक्त किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद अलीगढ द्वारा नशीला पदार्थ का व्यापार करने वाले अपराधियो के विरुद्ध चेकिंग व तलाश के अभियान के तहत, श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन मे, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक थाना गाँधीपार्क अलीगढ द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए दिनाँक 24.08.2021 को पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र राजू उर्फ राजकुमार निवासी गली नं0 9 अम्बेडकर मूर्ती के पास नौरंगाबाद छावनी थाना गाँधीपार्क जनपद अलीगढ को अम्बेडकर तिराहे से 50 कदम पला फाटक की तरफ से समय करीब 02.45 बजे मय 01 किलोग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 553/21 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण का नाम- पता

1. **विवेक कुमार पुत्र राजू उर्फ राजकुमार निवासी गली नं0 9 अम्बेडकर मूर्ति के पास नौरंगाबाद छावनी थाना गाँधीपार्क जनपद अलीगढ**

सम्बन्धित मु0अ0स0 – मु0अ0स0 553/21 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट

गिरफ्तारी का स्थान – अम्बेडकर तिराहे से 50 कदम पला फाटक की तरफ से

विवरण बरामदगी - 01 किलोग्राम गाँजा नाजायज

पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 श्री योगेश कुमार तिवारी थाना गाँधीपार्क जनपद अलीगढ।
2. है0का0 1289 राजकुमार थाना गाँधीपार्क जनपद अलीगढ